प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सोलह'

[25/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 2476]

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-17/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में - तृतीय समयमान वेतन (Time Scale Pay) ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी 2008.

-◆-

संदर्भित परिपत्र द्वारा लागू समयमान वेतनमान योजना को विस्तारित करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों को उनके पूर्ण शासकीय सेवाकाल में न्यूनतम तीन उच्च वेतनमान उपलब्ध कराए जायें । अतः वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के अनुसार प्रभावशील समयमान योजना को विस्तारित करते हुये तृतीय समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है ।

2/ राज्य की सिविल सेवाओं के जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है उनमें "अ", "ब" एवं "स" वर्ग की सिविल सेवाओं के सदस्यों को शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीसरा समयमान वेतनमान देय होगा अर्थात ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति की तिथि से दो पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का ही लाभ प्राप्त हुआ है, को दिनांक 1-7-2014 अथवा इसके बाद की तिथि से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी । शासकीय सेवक की तीसरे समयमान वेतनमान के लिये सेवा अवधि की गणना, प्रतियोगी/चयन परीक्षा के माध्यम से किसी सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी ।

3/ राज्य शासन के ऐसे संवर्ग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विशिष्ट योजनान्तर्गत समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त है, को भी 30 वर्ष की सेवा के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान

SUNITA/Priparta/2014
9/29/2014

की पात्रता होगी परन्तु ऐसे संवर्गों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिए मंत्रि-परिषद् आदेश पृथक से प्राप्त किये जाने आवश्यक होगें ।

4/ राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों को जिनके मूल पद के वेतनमान का उन्नयन दिनांक 1-4-2006 एवं इसके पश्चात् किया गया है, की तृतीय समयमान वेतन की पात्रता के लिए संशोधित वेतनमान में पूर्व नियुक्ति तिथि से काल्पनिक नियुक्ति मानी जाएगी ।

5/ विभिन्न वेतनमानों के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन देय होगा । किसी संवर्ग को तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के तुल्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन पूर्व (द्वितीय समयमान वेतन आदि) से उपलब्ध होने की स्थिति में तृतीय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के निर्धारण के लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए ।

6/ मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008 एवं इसके क्रम में जारी निर्देशों की अन्य शर्तें तथा प्रक्रियाएं यथास्थिति लागू रहेगीं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

SUNITA/Priparta/2014
9/30/2014

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को तृतीय समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अंतर्गत देय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन

वर्ग – अ

क्र0	चयन/प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती के नियुक्त पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3
1	15600–39100+6600	37400–67000+8900

वर्ग – ब

क्र0	चयन/प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती के नियुक्त पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3
2	15600–39100+5400	37400–67000+8700
3	9300–34800+4200	15600–39100+7600

वर्ग – स

क्र0	चयन/प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती के नियुक्त पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	तृतीय उच्चतर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3
4	9300–34800+3600	15600–39100+6600
5	9300–34800+3200	15600–39100+6600
6	5200–20200+2800	15600–39100+5400
7	5200–20200+2400	9300–34800+4200
8	5200–20200+2100	9300–34800+3200
9	5200–20200+1900	9300–34800+3200

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

SUNITA/Priparta/2014
9/30/2014

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 11-17/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Sunita/2014
http://www.Finance.mp.gov.in